# कार्यालय – प्राचार्य
## मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला जिला–बालोद (छ.ग.)

email id : govtcollegearm@gmail.com website: www.gc-armarikala.in


क्रमांक 370/स्था./छात्रवृत्ति/2022 अरमरीकला, दिनांक –19/12/2022

## निर्धन सहायता योजना

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.) में निर्धन सहायता योजना प्रारंभ किया जाता है।

**उदेश्य :–**
- महाविद्यालय में अध्ययनरत निर्धन छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- गरीब छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।

**निर्धन सहायता योजना के लिए आर्थिक स्रोत :–**

- मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ निर्धन सहायता योजना के तहत प्रति छात्र/छात्रा 05 रूपये (पॉच रूपये) जमा लिया जायेगा, जिसे महाविद्यालय विकास समिति के स्वीकृति में बढ़ाया जा सकता है।

**निर्धन सहायता योजना के लिए पात्रता :–**

1. महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो।
2. महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान किसी भी प्रकार गैप न हो।
3. किसी भी कक्षा/भाग में पूरक न आया हो । भाग एक के छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 12वी./हायर सेकेन्डरी परीक्षा में पूरक से उत्तीर्ण नही होना चाहिए।
4. महाविद्यालय में किसी प्रकार की असामाजिक कार्य/हड़ताल/नकल/रैंगिग या गैरकानूनी कार्यो में शामिल नही हुआ हों।
5. भाग एक के छात्र/छात्राओं को 12वी./हायर सेकेण्डरी की परीक्षा कम से कम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण होना चाहिए। भाग दो एवं तीन के छात्र/छात्रा को भाग एक या एक एवं दो में कम से कम 55 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के मामले में पिछली कक्षाओं में 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
6. किसी भी परिवार (माता+पिता) के एक ही संतान लाभान्वित हो सकेंगें। सगे भाई–बहन या भाई–भाई या बहन–बहन आवेदन किये हो तो पूर्व कक्षा में जिसका प्राप्तांक प्रतिशत अधिक होगा उसे ही पात्र माना जायेगा।
7. आवेदक छात्र/छात्रा के परिवार के पास अंत्योदय राशन कार्ड होना अनिवार्य है। अत्योदय राशन कार्ड वाले आवेदक नही मिलने से बी.पी.एल. राशन कार्ड धारी परिवार वालों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

**आवेदन की सूचना :–**

निर्धन सहायता योजनान्तर्गत आवेदन मंगाये जाने के लिए प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर में सूचना प्रसारित/प्रचारित किया जायेगा एवं पात्र आवेदकों की सूची जनवरी माह में तैयार कर राशि वितरित कर दिया जायेगा।



Ram

**राशि का वितरण :–**

महाविद्यालय में प्रवेश के समय निर्धन सहायता योजना के लिए कुल जमा राशि को पात्र आवेदकों में बराबर वितरण किया जायेगा। परन्तु पात्र आवेदकों की संख्या 10 से अधिक होगी तो पूर्व कक्षाओं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची के प्रथम 10 आवेदकों को ही निर्धन सहायता योजना की राशि बराबर वितरित किया जायेगा।

**पात्रता निर्धारण एवं अनुशंसा समिति :–**

निर्धन सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की जॉच कर पात्र आवेदन की सूची तथा मेरिट सूची तैयार कर पात्र आवेदको को निर्धन सहायता राशि भुगतान के लिए अनुशंसा करने हेतु अगामी आदेश तक के लिए निम्नानुसार समिति गठित किया जाता है।

**निर्धन सहायता राशि अनुशंसा समिति :–**

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | – | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल) |
| सदस्य | – | श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) |
| सदस्य | – | सुश्री योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र) |
| सदस्य | – | श्रीमती छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन) |

**विशेष :–** निर्धन सहायता योजना से संबंधित कार्य/पात्रता/वाद–विवाद आदि की स्थिति में प्राचार्य, मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला का निर्णय अंतिम होगा।

प्राचार्य
Principal
Madan Lal Sahu Govt. College
Armarikala, Dist Balod (C.G.)

**पृ. क्रमांक 371 /स्था./छात्रवृत्ति/2022** **अरमरीकला, दिनांक – 19 /12/2022**

प्रतिलिपि :–

1. निर्धन सहायता राशि अनुशंसा समिति के सदस्यों ........................................................ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचनार्थ।
3. छात्रवृत्ति शाखा/स्थापना शाखा/लेखा शाखा, मदनलाल साहू शास. महा. अरमरीकला।
4. सूचना पटल/महाविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड हेतु।

Principal
Madan Lal Sahu Govt. College
Armarikala, Dist Balod (C.G.)